न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022 / 14

लोकेश कुशवाह आत्मज रामचन्द्र जाति काछी निवासी काछी मोहल्ला सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश चन्द आत्मज मथुरा लाल जाति ब्राह्मण निवासी बोहरा जी की गली वार्ड नम्बर 04, सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से

निर्णय दिनांकः 18.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 09.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 349 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 351 रकबा 2.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 416 रकबा 1.55 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 5.13

हैक्टर भूमि वाके ग्राम पामलाखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है । प्रार्थी के खाते की भूमि में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिसके कारण प्रार्थी की आराजी के पडत रहने की स्थित आ रही है । यदि अप्रार्थी कम 01 के खाते की आराजी खसरा नम्बर 353 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर दक्षिणी भूमि रास्ते के रूप में दर्ज कर दी जाती है तो प्रार्थी को सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 323 से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित अपनी आराजी तक आवगमन करने में परेशानी का सामना नहीं करना पडेगा ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि ग्राम पामलाखेडी तहसील सांगोद के खसरा नम्बर 353 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर दक्षिणी भूमि में प्रस्तावित रास्ते में होकर खसरा नम्बर 323 रकबा 0.82 हैक्टर किस्म गै0मु0 रास्ता से प्रार्थी के खेत तक प्रार्थी के कृषि उपकरणों के आवागमन में अप्रार्थी किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.11.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी कम 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खसरा नम्बर 353 रकबा 0.49 हैक्टर में से 2 X 88 = 264 वर्गमीटर अर्थात् 0.0264 हैक्टर दक्षिणी भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित करने तथा अप्रार्थी कम 01 प्रचलित डीएलसी दर से मूल्य की दोगुनी राशि प्रतिकर के रूप में जमा कराने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.11.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट का रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 323 की किस्म गैर मु0 रास्ता नागररखेडी का मौजूद है । जहाँ पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो वहाँ पर धारा 251 (ए) के अन्तर्गत रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. बहस के दौरान पक्षकारान द्वारा दिनांक 12.07.2022 को लिखित राजीनामा पेश कर । उक्त राजीनामा अनुसार अपील का निस्तारण किये जाने का कथन किया ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामे का अवलोकन किया । न्यायालय

हाजा में प्रस्तुत राजीनामे के पक्षकारान की पहचान उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण द्वारा की गई । पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामा न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक किया गया ।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट बरूए राजीनामा स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2021 निरस्त किया जाता है । पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत मूल राजीनामा परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत उक्त राजीनामा अनुसार अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 29.08.2022 को उपस्थित हों । पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे की छाया प्रति न्यायालय हाजा की पत्रावली में संलग्न की जावे ।

11. निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा